



हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय

न्यू सेन्ट्रल होप टाउन, बायॉखाला, शीशमबाडा देहरादून,
पिन- 248011 उत्तराखण्ड, भारत

वेबसाइट: www.hnbumu.ac.in

नीट यू0जी0, 2026 उत्तराखण्ड राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग के स्ट्रे चरण हेतु महत्वपूर्ण निर्देश एवं नियम व शर्तें

1. स्ट्रे वैकेंसी चरण की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अर्हता

नीट यू0जी0 2026 उत्तराखण्ड राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग की Stray Vacancy round काउन्सिलिंग में इच्छुक एवं अर्ह निम्न अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकते हैं:-

1. प्रथम / द्वितीय / तृतीय चरण में पंजीकृत ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें तीनों चरण की काउन्सिलिंग में कोई भी सीट आवंटित नहीं हुयी हो।
2. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम / द्वितीय / तृतीय चरण काउन्सिलिंग में पंजीकरण **न** कराया हो और स्ट्रे वैकेंसी चरण में सीट आवंटन हेतु प्रतिभाग करना चाहते हों।

2. स्ट्रे वैकेंसी चरण में प्रतिभाग करने हेतु निम्न छात्र अर्ह नहीं होंगे:-

- जिन अभ्यर्थियों द्वारा नीट यू0जी0 2026 उत्तराखण्ड राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग के प्रथम / द्वितीय चरण / तृतीय चरण की काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित सीट पर निर्धारित समयान्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर अपना प्रवेश सुरक्षित करा लिया गया है।
- जिन अभ्यर्थियों द्वारा एम0सी0सी0 भारत सरकार द्वारा आयोजित केन्द्रीय काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित सीट पर निर्धारित समयान्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर अपना प्रवेश सुरक्षित करा लिया गया है।
- जिन अभ्यर्थियों द्वारा नीट यू0जी0 2026 उत्तराखण्ड राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग के तृतीय चरण काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित सीट पर निर्धारित समयान्तर्गत प्रवेश नहीं लिया है।

3. आवेदन प्रक्रिया (केवल ऑन-लाईन आधार पर)

1. Stray Vacancy round की काउन्सिलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग करने हेतु पंजीकरण धनराशि (रुपया 4500/-) एवं नियमानुसार धरोहर धनराशि **केवल आन-लाईन प्रणाली** (Credit/Debit Card/Net banking) के माध्यम से ही जमा की जायेगी।
2. जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम / द्वितीय / तृतीय चरण काउन्सिलिंग में पंजीकरण शुल्क तथा धरोहर राशि दोनों जमा की गई है, यदि वे Stray Vacancy round काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करना चाहते हैं तो उन्हें विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hnbumu.ac.in पर जाकर पंजीकृत आई-डी के माध्यम से आन-लाईन आवेदन कर नवीन च्वाइस फिलिंग करनी **अनिवार्य** होगी, ऐसे अभ्यर्थियों को दोबारा पंजीकरण शुल्क जमा करनी होगी तथा धरोहर राशि जमा **नहीं** करनी होगी।
3. जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम / द्वितीय / तृतीय चरण में पंजीकरण शुल्क तथा धरोहर राशि दोनों ही जमा **नहीं** किये गये हैं, वे निर्देशानुसार पंजीकरण शुल्क तथा धरोहर राशि दोनों ही जमा कर, पंजीकरण करवाकर आन-लाईन आवेदन फार्म भर कर नवीन च्वाइस फिलिंग करते हुये Stray Vacancy round काउन्सिलिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं।
4. जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम / द्वितीय / तृतीय चरण काउन्सिलिंग में पंजीकरण शुल्क तथा धरोहर राशि दोनों जमा की गई हो एवं किसी भी चरण में सीट आवंटित नहीं हुयी हो वे यदि पूर्व में चयनित किये गये कोटे (स्टेट कोटा / ऑल इण्डिया-ओपन कोटा) के विकल्प में परिवर्तन करते हुये स्ट्रे चरण काउन्सिलिंग में प्रतिभाग कराना चाहते हो, तो इस हेतु उन्हें विश्वविद्यालय की वेबसाइट

www.hnbumu.ac.in पर जाकर पंजीकृत आई-डी के माध्यम से आन-लाईन आवेदन कर नवीन कोटे के विकल्प का आन-लाईन आवेदन फॉर्म भरते हुये चयन करना होगा। तदपश्चात वे आन-लाईन आवेदन फॉर्म भरकर वांछित सूचना भर कर नवीन च्वाइस फिलींग करते हुये स्ट्रे चरण काउन्सिलिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं। ऐसी दशा में यदि अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में जमा की गयी धरोहर राशि ज्यादा है तो उन्हें कोई अतिरिक्त धरोहर धनराशि जमा नहीं करनी होगी, परन्तु यदि अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में जमा की गयी धरोहर राशि कम (न्यून) है तो उन्हें उस चयनित कोटे हेतु निर्धारित सम्पूर्ण धरोहर धनराशि को दोबारा जमा करना होगा। इस दशा में अभ्यर्थी द्वारा अतिरिक्त (पूर्व में जमा) जमा की गयी धरोहर राशि समस्त चरणों की काउन्सिलिंग प्रक्रिया के समाप्त होने के एक माह पश्चात अभ्यर्थी द्वारा शुल्क वापसी हेतु आन-लाईन आवेदन फॉर्म में भरे गये विकल्प के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा ऑन-लाईन आधार पर वापस की जायेगी।

5. Stray Vacancy round काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु प्रत्येक इच्छुक अर्ह अभ्यर्थियों को निर्धारित समयावधि में पंजीकरण/पुनः पंजीकरण करने के उपरान्त आन-लाईन आवेदन फॉर्म को भरते हुये समस्त वांछित सूचना, नवीन च्वाइस फिलींग एवं च्वाइस लॉक (Choice Submit) करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की दशा में वे स्ट्रे चरण काउन्सिलिंग में काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा सीट आवंटन हेतु अर्ह नहीं माने जायेंगे।
6. ऐसे अभ्यर्थी जो स्ट्रे चरण काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करना चाहते हैं एवं आरक्षण का लाभ लेते हैं उनके निवास प्रमाण पत्र, श्रेणी/उपश्रेणी प्रमाण पत्र आन-लाईन आवेदन की अन्तिम तिथि से पूर्व जारी होने अनिवार्य है। स्ट्रे चरण काउन्सिलिंग की आन-लाईन आवेदन की अन्तिम तिथि के बाद निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।
7. पूर्व में प्रथम/द्वितीय/तृतीय चरण में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी च्वाइस फिलींग स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी। अतः Stray Vacancy round काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु प्रत्येक इच्छुक अर्ह अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे Stray Vacancy round हेतु निर्धारित समयावधि में उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लें।
8. अभ्यर्थी द्वारा सम्पूर्ण रूप से आवेदन फॉर्म भरने के उपरान्त उसका प्रिन्ट आउट निकाल कर अपने पास अनिवार्य रूप से सुरक्षित रखना होगा। भविष्य में आवेदन के सन्दर्भ में किसी भी पृच्छा/जानकारी अथवा प्रकरण का निस्तारण इस आवेदन फॉर्म के प्रिन्ट आउट के आधार पर ही काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा किया जायेगा।
9. अभ्यर्थी काउन्सिलिंग की प्रक्रिया की समय सारणी के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि में वांछित परिवर्तन कर सकता है, तदपश्चात अभ्यर्थी को च्वाइस को submit किया जाना होगा। आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त किसी भी परिस्थिति में कोई भी परिवर्तन किसी भी स्तर पर नहीं किया जायेगा।
10. यदि ऑन-लाईन आवेदन फॉर्म भरते समय अभ्यर्थी द्वारा च्वाइस फिलींग करने के उपरान्त LOCK नहीं किया जाता है, तो अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी च्वाइस को ऑन-लाईन प्रणाली द्वारा निर्धारित समयावधि उपरान्त स्वतः ही submit कर दिया जायेगा तथा यह माना/समझा जायेगा कि अभ्यर्थी द्वारा सीट आवंटन हेतु यही च्वाइस भरी गयी है।
11. अभ्यर्थी ऑन-लाईन आवेदन फॉर्म भरते समय चयनित कोटे (राज्य कोटा/ऑल इण्डिया-ओपन कोटा) के आधार पर चयन हेतु उपलब्ध समस्त सीटों में से अपनी च्वाइस के अनुसार प्राथमिकता के क्रम में जितनी भी चाहे सीटों का विकल्प चयन कर सकते हैं।
12. अभ्यर्थियों हेतु काउन्सिलिंग में सम्मिलित प्रत्येक संस्थान द्वारा उपलब्ध कराया गया विस्तृत शुल्क विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट के पृथक लिंक पर अपलोड किया गया है। अतः अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे सीटों का विकल्प चयन करने से पूर्व संबंधित कॉलेज के शुल्क, बॉण्ड संबंधी नियम, सीटों की मान्यता की स्थिति आदि के बारे में संबंधित संस्थान से सम्पर्क स्थापित कर सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें तथा संतुष्ट हो लें। छात्र द्वारा चयन किये संस्थान/सीट/पाठ्यक्रम के विकल्प हेतु वह स्वयं उत्तरदायी होगा, विश्वविद्यालय/काउन्सिलिंग बोर्ड का कोई भी उत्तरदायित्व नहीं होगा।
13. Stray Vacancy round में काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा सीट आवंटन उपरोक्तानुसार निर्धारित नियम/प्रक्रियानुसार पंजीकृत हुये अभ्यर्थियों को उनकी मैरिट, अर्हता एवं भरी गयी च्वाइस (विकल्प) के आधार पर किया जायेगा।

14. As per Uttarakhand Government notification no 420406/XXVIII(5)/2026-(E-78579) dated 19/08/2026 15% seats in Shri Guru Ram Rai Medical Institute of Medical Sciences, Dehradun 425679/XXVIII(5)/2026-(E-106382) dated 24/08/2026 in Himalayan Institute of Medical Sciences, Dehradun 426766/XXVIII(5)/2026-(E-79097) dated 27/08/2026 in Gautam Buddha Chikitsa Mahavidyalaya, Dehradun shall be earmarked for the Non Resident Indian में वर्णित प्राविधानुसार भरा जायेगा।।

4. संस्थानवार सीट मैट्रिक्स

1. संस्थानवार सीटों का कोटेवार (राज्य कोटा तथा ऑल-इण्डिया-ओपन कोटा) सीट मैट्रिक्स विश्वविद्यालय की वेबसाइट के पृथक लिंक पर उपलब्ध है।
2. Stray Vacancy round की काउंसिलिंग में संस्थानवार सीटों को विवरणिका में दिये गये नियमानुसार परिवर्तित किया जायेगा, इसके आधार पर ही अंतिम आवंटन प्रकाशित किया जायेगा।

5. शुल्क विवरण

काउन्सिलिंग में सम्मिलित प्रत्येक संस्थान का संबंधित कॉलेज द्वारा उपलब्ध विस्तृत शुल्क विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट के पृथक लिंक पर अपलोड किया गया है।

6. आरक्षण

1. Stray Vacancy round काउन्सिलिंग में पंजीकृत हुये अर्ह अभ्यर्थियों को राज्यकोटे की उपलब्ध सीटों में विभिन्न श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण (उर्ध्व एवं क्षैतिज) उत्तराखण्ड राज्य की काउंसिलिंग की तिथि को प्रचलित/स्थापित नीति एवं निर्णयों के अनुसार अनुमन्य होगा।
2. किसी भी प्रकार के श्रेणी/उपश्रेणी का लाभ केवल उत्तराखण्ड राज्य के मूल/स्थाई निवासी को ही अनुमन्य होगा। इस हेतु अभ्यर्थी को संबंधित आरक्षण श्रेणी/उपश्रेणी लाभ प्राप्त करने के लिये उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार केवल उत्तराखण्ड शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत, काउन्सिलिंग एवं प्रवेश की तिथि को मान्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत/अपलोड करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की दशा में उसे सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। संबंधित आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी का केवल अभ्यर्थी के पक्ष/नाम पर निर्गत प्रमाण ही मान्य होगा।
3. ओ0बी0सी0 जाति का प्रमाण पत्र काउन्सिलिंग एवं संस्थान में प्रवेश की तिथि तक मान्य/वैध (valid) होना चाहिए। शासनादेश संख्या 310/XVII-2/16-02 (ओ0बी0सी0)/2012 दिनांक 21.02.2016 के अनुसार ओ0बी0सी0 जाति का प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से केवल तीन वर्ष तक ही वैध (valid) होता है। अतः ओ0बी0सी0 श्रेणी के अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने जाति प्रमाण पत्र की मान्यता/वैधता (validity) को भली-भांति जांच लें। अमान्य (invalid) ओ0बी0सी0 जाति प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
4. शासनादेश संख्या 570/कार्मिक-2/2004 दिनांक 22 मई, 2004 के क्रम में उपश्रेणी (DPW) हेतु आरक्षित सीटों का लाभ उत्तराखण्ड के निवासी केवल भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए तथा युद्ध में शहीद सैनिकों के पुत्र एवं पुत्रियों को ही अनुमन्य होगा। वर्तमान में सेना (थल, वायु एवं जल सेना) में कार्यरत सैनिकों के आश्रितों को उक्त उप श्रेणी के अन्तर्गत आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा तथा पैरामिलिट्री Paramilitary Forces के आश्रितों को उक्त उप श्रेणी के अन्तर्गत आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
5. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 123/XXX(2)/2020-30(1)/2020 दिनांक 29 अप्रैल, 2020 तथा विधायी एवं संसदीय कार्यविभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 64/XXXVI(3)/2020/20(1)/2020 दिनांक 07 मार्च 2020 पर निर्धारित नियम/शर्तों/प्रतिबन्धों के आधार पर ही दिया जायेगा। इस हेतु अभ्यर्थी के पक्ष में उत्तराखण्ड सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत नवीनतम प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
6. दिव्यांग अभ्यर्थियों को केवल राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा नामित मेडिकल बोर्ड से निर्धारित प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को किसी भी स्पष्टीकरण के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा अयोग नामित मेडिकल बोर्ड से प्राप्त कर सकते हैं।
7. किसी आरक्षित श्रेणी एवं उप श्रेणी का अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में सीट रिक्त रहने/होने पर ऐसी सीटों को नियमानुसार परिवर्तित (convert) कर भरा जायेगा।

8. प्रवेश प्रक्रिया

1. Stray Vacancy round में बोर्ड द्वारा आवंटित सीटों पर निर्धारित समायन्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने संबंधी विस्तृत जानकारी स्ट्रै चरण की काउन्सिलिंग के सीट आवंटन सूची निर्गत होने के उपरांत विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर छात्रों हेतु पृथक से अपलोड की जायेगी।
2. आवंटित सीट पर प्रवेश सुरक्षित करने हेतु संबंधित छात्र को आवंटित संस्थान में व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होकर अपने समस्त वांछित अभिलेख (मूल में) प्रस्तुत एवं जमा करने अनिवार्य होंगे, अन्यथा की दशा में वे प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होंगे।

9. विविध

1. Stray Vacancy round की काउन्सिलिंग में आवंटित सीट पर यदि कोई अभ्यर्थी प्रवेश नहीं लेता है तो मा10 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार/एम0सी0सी0 के निर्देशों के क्रम में ऐसे अभ्यर्थी को नीट यू0जी0 प्रवेश परीक्षा से एक वर्ष हेतु प्रतिवारित कर दिया जायेगा तथा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
2. विस्तृत जानकारी हेतु नीट यू0जी0 2026 उत्तराखण्ड राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग हेतु प्रकाशित **Information Bulletin** का पुनः अध्ययन कर लें।
3. काउन्सिलिंग समय-सारणी में परिवर्तन का अधिकार काउन्सिलिंग बोर्ड के पास सुरक्षित रहेगा। भारत सरकार/एन0टी0ए0/एम0सी0सी0/एन0एम0सी0/डी0सी0आई0/मा10 न्यायालय के निर्देशानुसार इस काउन्सिलिंग समय-सारणी में परिवर्तन किया जा सकता है जिसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।
4. काउन्सिलिंग हेतु कोई भी सूचना/जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hnbmu.ac.in पर ही अपलोड की जायेगी। अतः काउन्सिलिंग की अद्यतन सूचना/जानकारी प्राप्त करने हेतु समय-समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।

नोटिस प्रकाशन तिथि:- 17.10.2026

सदस्य सचिव
नीट यू0जी0 2026
उत्तराखण्ड राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग

Learn to Serve